

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गोविन्दगढ़ (अलवर) राज.

प्रकरण सं. 3/2/22 तारीख रज. 28/3/22 प्रा. पत्र. 039R 2(0) PC

बनाम भोजन लाल मोहर सिंह वेक्टर

तारीख हुगम	हुगम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर 1 तारीख प्रकरण जो हुगम जारी हुआ
------------	-----------------------------------	---

28/3/22 वकील जर्जी उपहिला यह प्रा. पत्र अदालत  
39 नि. 2 (0) PC वकील जर्जी ने पेश  
कि. 1 इतिहास को अ. प्र. वि. वि.  
अ. नो. वि. तलब को फ. व. वि. दिनांक  
20/4/22 को रज. रज. की अ. प्र. वि. पेश

562  
28/3/22

ए। उपखण्ड अधिकारी  
गोविन्दगढ़ (अलवर)

20/4/22 वकील जर्जी उपहिला का सं. 1/1/11  
कार्य शक्ति कि. 1 को फ. व. वि. दिनांक  
25/5/22 को पेश को उपखण्ड अधिकारी  
गोविन्दगढ़ (अलवर)

25/5/22 वकील जर्जी उप. P.O. साहब  
..... है।  
..... पर  
पत्रावली दिनांक..... को पेश हो  
22/6/22  
रीडर

22/6/22 वकील जर्जी उप. P.O. साहब  
..... है।  
..... पर  
पत्रावली दिनांक..... को पेश हो  
20/7/22  
रीडर

20/7/22 वकील फरीकन उप. P.O. साहब  
..... है।  
..... पर  
पत्रावली दिनांक..... को पेश हो  
24.8.22  
रीडर

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

13.8.25

पत्रावली पेश हुई। वहील हाथी  
 आश्रित। पत्रावली की वित्तिय से तबकी  
 में विप्रावधीन है। तबकी हेतु पथहित  
 अवसर दिया जा चुका है तथा अंतिम  
 अवसर के रूप में भी अनेक अवसर  
 दिये जा चुके हैं। इसके बावजूद भी  
 आश्रितों तक तकली नहीं करायी गयी  
 है ना ही पुनः तकली हेतु तालकाना पेश  
 किया गया। अतः पत्रावली विपिन लक्ष्मी  
 सिद्धा के आदेश 9 नियम 5 में खालिज  
 की जाती है। पत्रावली केमल शूमाएवेवट  
 नम्बर से कम हो। बाद तबकील पत्रावली  
 मुल वाक के साथ संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी  
 गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

.....  
 .....  
 .....